

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेठा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in)

23/4

क्रमांक/ वि.यो.496/2018

27-4

भोपाल, दिनांक / / 2018

प्रति,

प्रमुख सचिव,  
म.प्र. शासन,  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल।

विषय :- मंडीदीप विकास योजना 2031 के प्रकाशन संबंधी वैधानिक सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन बावत्।

-0-

मंडीदीप विकास योजना का प्रकाशन मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18(1) के अंतर्गत दिनांक 11/5/2018 को किया जा रहा है। तत्संबंधी वैधानिक सूचना (हिन्दी) की पांच प्रतियां इस ज्ञापन के साथ संलग्न कर निवेदन है कि इसे मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 11/5/2018 में प्रकाशित कराने हेतु उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(स्वाति मीणा नायक )  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

23/5

पृ.क्रमांक/ वि.यो.496/2018

27-4  
भोपाल, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि,

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(स्वाति मीणा नायक )  
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in)

क्रमांक/ 2312 वि.यो.496/2018

भोपाल, दिनांक 27/4/2018

प्रति,

आयुक्त,  
जन सम्पर्क संचालनालय,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय :- अंगीकृत मंडीदीप विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरणों की सूचना के प्रकाशन आवत्।

-0-

अंगीकृत मंडीदीप विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरणों की सूचना का प्रकाशन दिनांक 11/5/2018 में किया जा रहा है। म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 के प्रावधानंतर्गत तत्संबंधी सूचना (हिन्दी) की पांच प्रतियां इस जापन के साथ संलग्न हैं। उक्त सूचना को मंडीदीप में प्रसारित होने वाले कम से कम दो हिन्दी समाचार पत्रों में दिनांक 11/5/2018 के अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान के अंतर्गत उक्त सूचना का निर्धारित तिथि को समाचार पत्रों में प्रकाशन होना आवश्यक है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(स्वाति भीणा नायक )

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/

2312

वि.यो.496/2018

भोपाल, दिनांक 27/4/2018

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल की ओर सूचना की प्रति संलग्न कर कृपया कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु।
2. कलेक्टर रायसेन, जिला रायसेन की ओर सूचना की प्रति संलग्न कर कृपया कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंडीदीप की ओर सूचना की प्रति संलग्न कर कृपया कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समाचार पत्रों की कतरनों की मूल प्रतियां संकलित कर संचालनालय को भिजवाना सुनिश्चित किया जावें।

(स्वाति भीणा नायक )

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

५८

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेठा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक/ 2312 /वि.यो.496 /2018

E-Mail : [mptownplan@mp.gov.in](mailto:mptownplan@mp.gov.in)

भोपाल, दिनांक 27-4-2018

## मंडीदीप विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मंडीदीप विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल,
2. कलेक्टर, रायसेन जिला रायसेन
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मंडीदीप

### अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक(5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
1	मंडीदीप विकास योजना 2031	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	6	6-सा-15	4	गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	6-सा-15	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

**व्याख्या -**

- i \* सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि म.प्र शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें।
- ii \*\* गैर प्रटूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि म.प्र. प्रटूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।
- iii \*\*\* कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) में वर्णित अनुसार।  
टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्य प्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के टिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(स्वाति भीणा नायक )

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल